

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 अगस्त 2020—श्रावण 15, शक 1942

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2020

क्र. एफ. 1-55-2009-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46/1974) की धारा 3 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री लोचनलाल अहिरवार, आवंटन अधिकारी (संयुक्त कलेक्टर), संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 15 जुलाई 2020 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम भोपाल सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2020

क्र. एफ. 1-55-2009-दो-ए(3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

Bhopal, the 6th August 2020

No. F. 1-55-2009-II-A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Shri Lochanlal Ahirwar, Allotment Officer (Joint Collector), Directorate of Estates, Bhopal as competent authority with effect from the date of Joining 15th July 2020 of taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam Within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.